न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–26 / 2021

1. श्री लालाराम पिता अमरा जाति मीणा निवासी संतोष पुरीया तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
2. श्रीमती देऊबाई पत्नी गोपीलाल पिता अमरा जाति मीणा निवासी संतोषपुरीया हाल मुकाम दुधीतलाई तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0

–– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

–– अप्रार्थी

प्रार्थना प्रत्र अन्तर्गत 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री कमलेश जी सुथार – अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 10.01.2022

1. वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. में पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा संतोषपुरीया पटवार हल्का पीथलवीकंला के खाता संख्या 104 के आराजी नं0 1033 / 171 रकबा 0.72 हैक्ट0, कुल किता 01 कुल रकबा 0.72 हैक्ट0 स्थित है उक्त आराजी में प्रार्थीगण का 1 / 2–1 / 2 हिस्सा निहित है। जिसमें प्रार्थी कमांक 1 का नाम लाला पिता अमरा मीणा एवं प्रार्थी कमांक 2 का नाम सुन्दरीबाई पुत्री अमरा मीणा दर्ज है जबकि प्रार्थी कमांक 1 का वास्तविक नाम लालुराम पिता अमरा मीणा एवं प्रार्थी कमांक 2 का वास्तविक नाम देऊबाई पुत्री अमरा मीणा दर्ज है अतः राजस्व रेकार्ड में भी उक्त नाम शुद्धि का आदेश प्रदान

2. पत्रावली का अवलोकन कर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार छोटीसादड़ी को जरिये सम्मन सुचित किया गया। तथा रिपोर्ट पटवार हल्का तलब कि गई जिसमें पटवारी ने लाला व लालुराम पिता अमरा मीणा एक ही व्यक्ति का नाम बताया गाय तथा सुन्दरीबाई उर्फ देऊबाई पिता अमरा मीणा भी एक ही महिला का नाम होना बताया गया। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसमें भी प्रार्थी कमांक 1 का नाम लालुराम तथा प्रार्थी कमांक 2 का नाम देऊबाई दर्ज रेकार्ड है। तथा पटवारी रिपोर्ट में भी उक्त दोनों नाम वाले व्यक्ति को भी एक ही बताया गया है अतः शुद्धि को दुस्तरीकरण किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

3. अतः पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, सलग्न दस्तावेज, एव शपथ पत्र एवं रिपोर्ट पटवार हल्का के आधार पर मौजा संतोषपुरीया पटवार हल्का पीथलवीकंला के खाता संख्या 104 के आराजी नं0 1033/171 रकबा 0.72 हैक्ट0 पर प्रार्थी कमांक 1 का नाम लाला पुत्र अमरा के बजाए लाल उर्फ लालुराम पुत्र अमरा एवं प्रार्थी कमांक 2 का नाम सुन्दरीबाई पुत्री अमरा के बजाए सुन्दरीबाई उर्फ देऊबाई पुत्री अमरा दर्ज किया जावें। तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड में नाम दुरस्तीकरण कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2022 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़